भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4160

20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष के लिए कच्चे माल की कमी

4160. डॉ. के. सुधाकर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान आयुष क्षेत्र की वृद्धि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विशेष रूप से वन उपज पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कच्चे माल की कमी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही सरकार द्वारा कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं;
(ग) सरकार द्वारा देश में आयुर्वेद का संवर्धन करने और आयुर्वेदिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या सरकार की योजना देश के सभी जिलों में आयुष अस्पताल स्थापित करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा भारत के आयुष ब्रांड को विश्व स्तर पर प्रचारित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं साथ ही आयुष के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पैकेज के अंतर्गत शामिल लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय द्वारा "आयुष में परिवर्तनकारी विकास का दशक, वर्ष 2014-2024" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। विवरण https://ayush.gov.in/images/annualReport/DecadeAyushReport.pdf पर उपलब्ध हैं। विगत पाँच वर्षों के दौरान आयुष क्षेत्र में हुई प्रगति का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है –

i. आयुष मंत्रालय का बजट:

विगत पांच वर्षों के दौरान, आयुष मंत्रालय के बजट आवंटन में वृद्धि की गई है, जो इस क्षेत्र के महत्व की बढ़ रही पहचान को दर्शाता है। आयुष मंत्रालय को आवंटित किए गए बजट का वर्षवार विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

ii. आयुष अवसंरचना:

वर्ष 2019-2023 के दौरान देश में आयुष अस्पतालों, बिस्तरों, औषधालयों और पंजीकृत चिकित्सकों (डॉक्टरों) की कुल संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

iii. आयुष औषधि उद्योग:

विकासशील देशों की वर्ष 2020 की अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), रिपोर्ट के अनुसार, आयुष विनिर्माण उद्योग का आकार 1,37,800 करोड़ रुपये (18.1 बिलियन अमरीकी डॉलर) होने का अनुमान है, जो 7 वर्षों में 6 गुना की वृद्धि है। इसी प्रकार, आरआईएस के प्रारंभिक अध्ययन आयुष सेवा क्षेत्र में 1,66,797 करोड़ रुपये का राजस्व दर्शाता है। वर्ष 2019-2023 के दौरान देश में आयुष विनिर्माण इकाइयों की कुल संख्या (राज्य/संघ राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार) **संलग्नक-I** में दी गई है।

iv. शिक्षा:

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 को सितंबर, 2020 में अधिनियमित किया गया था। इन अधिनियमों ने क्रमशः पुराने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 का स्थान लिया। विगत पाँच वर्षों में बढ़े हुए आयुष कॉलेजों का वर्षवार विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

v. भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच):

भारत सरकार ने, भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला (पीएलआईएम), गाजियाबाद और होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला (एचपीएल), गाजियाबाद, दोनों अधीनस्थ कार्यालयों और आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच), गाजियाबाद, को 06 जुलाई, 2020 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से विलय करके, अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच) की स्थापना की है।

आयुष मंत्रालय की ओर से पीसीआईएमएंडएच आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों/दवाओं के लिए फार्मूलरी विनिर्देश और फार्माकोपियल मानक निर्धारित करता है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियम, 1945 के अनुसार, यहां शामिल की गई, एएसयूएंडएच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और शक्ति) को सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में कार्य करता है और भारत में निर्मित की जा रहीं एएसयूएंडएच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। विगत पांच वर्षों के दौरान, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल (पौधे/पशु/खनिज/रासायनिक मूल की एकल औषधि) पर 60 गुणवत्ता मानक, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) फार्मूलेशनों के 03 गुणवत्ता मानकों, एएसयू औषधियों के 219 फार्मूलरी विनिर्देशों को संबंधित भेषजसंहिताओं और फार्मूलरियों में प्रकाशित किया गया हैं।

पीसीआईएमएंडएच एक अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सरकारी एजेंसियों से नमूने प्राप्त करता है, ताकि उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। पीसीआईएमएंडएच द्वारा परीक्षित दवा नमुनों तथा औषधि विनियामक प्राधिकरणों, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि को दिए गए प्रशिक्षण का वर्षवार विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): आयुष मंत्रालय को कच्चे माल की किसी प्रकार की कमी की सूचना नहीं मिली है। औषधीय पौधों के कच्चे माल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय अपनी "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना" के तहत औषधीय पौधों की गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) के विकास और किसानों/उत्पादकों को उनके वितरण के लिए क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) को सहायता प्रदान कर रहा है ताकि औषधीय पौधों की खेती को बढ़ाया जा सके।

वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान एनएमपीबी की आरसीएफसी परियोजनाओं के माध्यम से विकसित औषधीय पौधों की प्रजातियों की गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के पास ऊटी, तमिलनाडु में होम्योपैथिक, औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र (सीएमपीआरएच) है। यह संस्थान होम्योपैथी में उपयोग होने वाले विदेशी और स्वदेशी पौधों के जर्मप्लाज्म की खेती, सर्वेक्षण, संग्रहण और रखरखाव में संलग्न है। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के तहत, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के एमराल्ड में, होम्योपैथिक औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र (सीएमपीआरएच), होम्योपैथी में उपयोग होने वाले 104 पौधों की प्रजातियों (92 विदेशी और 12 स्वदेशी) के जर्मप्लाज्म की खेती और रखरखाव कर रहा है।

केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) सिद्ध औषधीय पादप उद्यान, मेट्टूर डैम के माध्यम से, सीसीआरएस की फार्मेसी में सिद्ध फार्मूलेशनों के उत्पादन की मांग को पूरा करने तथा अनुसंधान और संबंधित उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु औषधीय पौधों की खेती करती है।

(ग): आयुष मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है और आयुर्वेद सहित आयुष पद्धति के प्रचार और समग्र विकास के लिए उनके प्रयासों को सहयोग प्रदान कर रहा है। एनएएम के तहत, एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:

i. आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एएचडब्ल्यूसी) का संचालन जिसका नाम बदलकर अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) कर दिया गया है।

ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण।
v. 10/30/50 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से देश में जन साधारण के लिए अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आयुर्वेद पद्धति को लोकप्रिय बनाने में लगी हुई है, जिसे राष्ट्रीय/राज्य स्तर के आरोग्य मेलों, स्वास्थ्य शिविरों, प्रदर्शनियों और एक्सपो आदि के माध्यम से व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को सीसीआरएएस आउटरीच कार्यक्रमों जैसे अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) अनुसंधान कार्यक्रम, आदिवासी स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी) आदि के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में बाह्य संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से लक्षित किया जाता है। इसके अलावा, आईईसी सामग्री को व्यापक प्रचार के लिए परिषद की वेबसाइट पर भी डाला जाता है। परिषद के पास तीन पत्रिकाएँ हैं, जिनका नाम जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (जेडीआरएएस), जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (जेआरएएस) और जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज (जेआईएमएच) है, जो जनता के बीच शोध के परिणामों के प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सार्वजनिक डोमेन में निःशुल्क उपलब्ध हैं। अब तक, परिषद ने लगभग 409 पुस्तकें, मोनोग्राफ, तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित की हैं और उन्हें आयुर्वेद के शोध परिणामों और गुणों को व्यापक रूप से प्रसारित करने के लिए बेचा या वितरित किया जा रहा है। आयुर्वेद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सीसीआरएएस के 20 संस्थान विदेशी नागरिकों के आयुष उपचार के लिए आयुष वीज़ा के तहत सेवाएँ प्रदान करने वाले केंद्रों के रूप में पंजीकृत हैं।

(घ): चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए सभी जिलों में अस्पतालों की स्थापना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। हालांकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस संबंध में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

(ङ): आयुष मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (आईसी स्कीम) विकसित की है, जिसके तहत आयुष मंत्रालय आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष औषधि निर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता को सरल बनाता है; हितधारकों के बीच परिचर्चा को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष बाजार का विकास करता है; विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के माध्यम से शिक्षाविदों और अनुसंधान को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता और अभिरुचि के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करता है।

आयुष मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- आपसी हित पर आयुष से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए देश स्तरीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके विदेशी देशों के साथ सहयोग। विदेशी देशों के साथ पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 24 देश दर देश स्तर पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए;
- अनुसंधान/अकादमिक सहयोग के लिए विदेशी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर;

• विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आयुष पीठों की स्थापना के लिए 15 समझौता ज्ञापन;

• आयुष विशेषज्ञ (अल्पकालिक/दीर्घकालिक) की प्रतिनियुक्ति;

•आयुष के क्षेत्र में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के आयोजन या सहायता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसियों के साथ सहयोग;

• अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता और रुचि के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु भारत या विदेश में सम्मेलन, सेमिनार, एक्सपो इत्यादि का आयोजन;

• आयुष पद्धति के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए विश्व भर के विभिन्न देशों में 42 आयुष सूचना प्रकोष्ठ (केंद्र) की स्थापना;

• विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों और बहुपक्षीय मंचों में आयुष का प्रतिनिधित्व करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष में नैदानिक अनुसंधान करने के लिए सहायता देना;

• आयुष उत्पादों और सेवाओं आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष निर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है।

• भारत में मान्यता प्राप्त आयुष संस्थानों में विदेशी नागरिकों को पाठ्यक्रमों के लिए आयुष छात्रवृत्ति प्रदान करना।

• अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई), 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए जाने के बाद आईडीवाई एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है, जिसमें दूतावासों, योग चिकित्सकों और स्थानीय समुदायों के माध्यम से विश्व भर में बड़े पैमाने पर भागीदारी होती है।

• शैक्षिक पहल जैसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से योग शिक्षा के लिए सहयोग और विदेशी विश्वविद्यालयों में आयुष पीठों की स्थापना। आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित योग प्रमाणन बोर्ड (वाईसीबी), योग पेशेवरों और संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिमान्य प्रमाणन प्रदान करता है, जिससे शिक्षण और अभ्यास में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जाता है।

आयुष पैकेज आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम जेएवाई) में शामिल नहीं हैं।

*****

संलग्नक-I

(i) आयुष मंत्रालय को आवंटित बजट का वर्षवार विवरण –

क्र.सं.	वर्ष	बजट का आवंटन (करोड़ रूपये में)
1.	2019-20	1939.76 रूपये
2.	2020-21	2122.08 रूपये
3.	2021-22	2970.30 रूपये
4.	2022-23	3050.00 रूपये
5.	2023-24	3647.50 रूपये

(ii) वर्ष 2019-2023 के दौरान देश भर में आयुष अस्पतालों, बिस्तरों, औषधालयों और पंजीकृत चिकित्सकों (डॉक्टरों) की कुल संख्या–

क्र.सं.	सुविधा	2019	2020	2021	2022	2023
1.	अस्पताल	3,781	3,859	3,844	3,859	3,885
2.	बिस्तर	60,632	60,653	60,943	61,549	62,670
3.	औषधालय	29,091	29,951	36,848	37,385	37,804
4.	पंजीकृत चिकित्सक (डॉक्टर)	6,46,013	7,12,132	7,55,780	7,30,317	7,51,768

(स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार एवं संबंधित एजेंसियां)

(iii) वर्ष 2019-2023 के दौरान देश में आयुष विनिर्माण इकाइयों की कुल संख्या –

	2019	2020	2021	2022	2023
आयुष विनिर्माण इकाई	8,407	8,104	8,648	8,705	8,369

(स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार एवं संबंधित एजेंसियां)

(iv) पिछले पांच वर्षों के दौरान आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों की संख्या में हुई वृद्धि का वर्षवार विवरण –

क्र.सं.	वर्ष	आयुर्वेद	सिद्ध	यूनानी	सोवा-रिग्पा	होम्योपैथी
1.	2020-21	01	00	01	00	00
2.	2021-22	47	00	00	01	10
3.	2022-23	42	02	00	01	11
4.	2023-24	46	02	01	00	07
5.	2024-25	35	00	00	00	13
कुल बढ़े हुए कॉलेज		**171**	**04**	**02**	**02**	**41**

(v). पीसीआईएमएंडएच द्वारा परीक्षण किए गए औषधि नमूनों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	वर्ष	होम्योपैथी	आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (एएसयू)	कुल
1	2019-20	599	44	643
2	2020-21	303	24	327
3	2021-22	1006	02	1008
4	2022-23	243	28	271
5	2023-24	शून्य	45	45
6	2024-25 (अब तक)	01	05	06

(vi). पीसीआईएमएंडएच द्वारा औषधि विनियामक प्राधिकरणों, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि को आयोजित प्रशिक्षण का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है: –

वर्ष	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या
2019-20	02	23
2020-21	03	263
2021-22	02	54
2022-23	02	88
2023-24	04	49
2024-25	03	50

संलग्नक- II

वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान एनएमपीबी की आरसीएफसी परियोजनाओं के माध्यम से विकसित औषधीय पौधों की प्रजातियों की गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र	विकसित किए गए क्यूपीएम के नमूनों की संख्या (संख्या में) 2017-18 से 2023-24
1.	आरसीएफसी (उत्तरी क्षेत्र -1) रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडीयन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन (आरआईआईएसएम), जोगिंदर नगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश-175015	15,45,880
2.	आरसीएफसी (उत्तरी क्षेत्र -2) शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर (एसकेयूएएसटीके), कृषि संकाय, वडूरा, सोपोर- 193201, जम्मू और कश्मीर	22,86,695
3.	आरसीएफसी (मध्य क्षेत्र) राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एसएफआरआई), जबलपुर, मध्य प्रदेश (परियोजना 2017-18 से 2022-23 तक क्रियान्वित)	9,43,534
4.	आरसीएफसी (पूर्वी क्षेत्र) जादवपुर विश्वविद्यालय, 188, राजा एस.सी. मल्लिक रोड, कोलकाता - 700032, पश्चिम बंगाल	25,80,503
5.	आरसीएफसी (दक्षिणी क्षेत्र) केरल वन अनुसंधान संस्थान (केएफआरआई), पीची - 680653, त्रिशूर, केरल	48,37,650

6.	आरसीएफसी (पूर्वोत्तर क्षेत्र) (**i)** असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम 785006 परियोजना 2018-19 से 2020-2021 तक कार्यान्वित की गई) (**ii)** वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद – पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-एनईआईएसटी), एनएच-37, पुलीबोर, जोरहाट, असम 785006 (परियोजना सितम्बर, 2021 से अब तक जारी है)	30,63,310
7.	सीएफसी (पश्चिमी क्षेत्र) वनस्पति विज्ञान विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे-411007, महाराष्ट्र	11,77,704
	कुल	**1,64,35,276**